


17.5.18

पंजाबली डाक कॅम्प कोर्ट केड में पेस हुई। प्रकरण के  
शेकाबिल वाद पत्र का निवेदन हो चुका है तथा प्राथमिक  
डिली कोरी की जा चुकी है। प्रकरण में अनुवादेय शी.।  
को कारिमे अरथाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जा रहा है  
कि वे वाद के अंतिम निवेदन तक छाम नंगली निर्माण  
के क्रमि ख.न. 1330 रकबा. 6.32 है. का राबख रिकार्ड  
अपं भौका की तथा स्थिति बनाये रखें। तदधीलदार उदभपुरादी  
प्राथमिक डिली की पालना के लिये स्वतंत्र रहेंगे।

पंजाबली डाक कॅम्प में होकर नम्बर के काम हो तथा मूल  
वाद के कामगार रहे।

  
उपपरिवर्तन अधिकारी  
उदभपुरादी (ग.स.)